

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या- 1354/2011/जोधपुर

मैसर्स मेहता ऑप्टिक्स,  
स्टेशन रोड़, जोधपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स),  
वाणिज्यिक कर, जोधपुर
2. पंजीयन अधिकारी,  
वृत्त बी, जोधपुर
3. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट-द्वितीय, वृत्त ए, जोधपुर

.....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.पी. व्यास, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी. ओझा,  
उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से

दिनांक : 24/04/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे "अपीलार्थी" कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय प्राधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 24/आरवेट/जेयूए/09-10 में किये गये आदेश दिनांक 01.03.2011 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा अपीलीय प्राधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त ए, जोधपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2006-07 हेतु अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 64 (i) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रूपये 1000/- को अपास्त किया है परन्तु धारा 64 (ii) के अंतर्गत आरोपित शास्ति रूपये 1000/- की पुष्टि करते हुए अपील आंशिक स्वीकार की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म के प्रोपराईटर श्री मनमोहन सिंह मेहता पुत्र श्री अमोलकचन्द मेहता द्वारा एकल स्वामित्व की हैसियत

31

से इस अपीलार्थी फर्म का पंजीयन प्राप्त किया है (टिन 08872558255), जबकि इसी स्वामित्व की एक ही स्थान पर एक अन्य फर्म मैसर्स मेहता ऑप्टीशियन्स (टिन 08722551887) पहले से ही पंजीकृत एवं व्यवसायरत है। कर निर्धारण अधिकारी ने इसे अधिनियम की धारा 11 का उल्लंघन मानते हुए अपीलार्थी फर्म का पंजीयन निरस्त करते हुए धारा 64 (ii) के अंतर्गत शास्ति रूपये 1000/- का आरोपण भी किया। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अधिनियम के अंतर्गत दिये गये निर्देशों की पालना नहीं करने पर धारा 64 (i) के अंतर्गत रूपये 1000/- की शास्ति का आरोपण किया गया। इस कर निर्धारण आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसके निर्णय दिनांक 01.03.2011 द्वारा धारा 64 (i) के अंतर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए धारा 64 (ii) के अंतर्गत आरोपित शास्ति की पुष्टि की गई। उक्त अपीलीय आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 83 के अंतर्गत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 64 (ii) के अंतर्गत शास्ति का जो आरोपण किया गया है वह अनुचित है क्योंकि उसके द्वारा पंजीयन आवेदन में सभी तथ्य घोषित कर दिये गये थे। अतः उन्होंने इस संबंध में अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।
4. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी फर्म के प्रोपराइटर द्वारा दो फर्मों का पंजीयन करवाकर व्यवसाय किया जा रहा था जो कि नियम विरुद्ध होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फर्म का टर्नओवर पूर्व से ही विद्यमान रही उसी स्वामित्व की फर्म मैसर्स मेहता ऑप्टीशियन्स के टर्नओवर में जोड़ते हुए कर निर्धारण सम्पूरित किया गया है तथा धारा 11 के प्रावधानों के विपरीत प्राप्त दूसरे पंजीयन को निरस्त करते हुए जो शास्ति आरोपण धारा 64 (ii) के अंतर्गत किया गया है वह पूर्णतः विधिसम्मत है, अतः उन्होंने इस संबंध में अपीलीय आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की।
5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है कि प्रत्यर्थी फर्म के प्रोपराइटर श्री मनमोहन सिंह मेहता के स्वामित्व की एक अन्य फर्म मैसर्स मेहता ऑप्टीशियन्स के नाम से उसी स्थान पर पहले से ही पंजीकृत एवं कार्यरत है। अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान इस संबंध में दोहरे या एकाधिक पंजीकरण को वर्जित करते हैं। सुलभ संदर्भ हेतु धारा 11(7) व 11(8) के प्रावधान निम्नानुसार पुनरुल्लिखित हैं :-


३

**11. Obligatory registration. - .....**

*(7) Where a dealer who is already registered, intends to do business at one or more additional places in the State he shall be granted in such manner as may be prescribed, a branch certificate under the certificate of registration already held by him.*

*(8) Where a dealer has one or more additional registration under the repealed Act, he shall inform to his assessing authority or authority competent to grant registration within sixty days from the commencement of this Act, as to which of the registrations shall be treated registration under this Act and which of the registration certificates may be converted into branch certificates. If the dealer fails to do so, the Commissioner or any officer authorised by him for this purpose, shall declare one such registration to be the registration under this Act and shall issue branch certificate in lieu of remaining registration certificates.*

6. उक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि कोई व्यवहारी पहले से ही पंजीकृत हो तथा राज्य में एक या एकाधिक स्थानों पर व्यवसाय करना चाहता है तो उसे मौजूदा पंजीयन का ब्रांच प्रमाण पत्र ही जारी किया जायेगा न कि पृथक पंजीयन। चूंकि अपीलार्थी फर्म के Proprietor द्वारा एक फर्म का पंजीयन पहले से ही प्राप्त कर रखा है अतः उक्त उद्धरित विधिक प्रावधानों के अनुसार उक्त Proprietor द्वारा दूसरी फर्म का पंजीयन प्राप्त करना विधिक रूप से प्रतिबंधित है, लिहाजा अपीलार्थी द्वारा विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 64 (ii) के अंतर्गत जो शास्ति रूपये 1000/- आरोपित की गई है वह पूर्णतः विधिसम्मत है तथा जिसकी पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, अतः अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।
6. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय आदेश उचित एवं विधिसम्मत पाये जाने से इसकी पुष्टि की जाती है तथा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
7. निर्णय सुनाया गया।



24.04.2018

(ओमकार सिंह आशिया)

सदस्य